राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 16(1) उद्योग/2/2013 जयपुर दिनांक : 29/04/2013

–: अधिसूचना :–

नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना

1. प्रस्तावना

राजस्थान में लगभग 2500 इकाइयों द्वारा खुले, आरक्षित, कृषि से लवण भूमि में रूपान्तरित क्षेत्रों में लवण उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। नमक एक अहम् खाद्य पदार्थ होने के साथ साथ औद्योगिक उपयोग में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर, नागौर, चूरू, जयपुर, अजमेर, सीकर आदि जिलों में नमक उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। राज्य में 15 नमक रिफायनरी एवं वाशरी की स्थापना की जा चुकी हैं जिससे पूरे देश में नमक उत्पादन के लिए राजस्थान की पहचान बनी है। राजस्थान से बंगाल, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में नमक भिजवाया जाता है। राज्य से विदेशों मे भी नेपाल, मॉरिशष, कीनियां एवं बांग्लादेश में नमक का निर्यात किया जा रहा है। सांभर साल्ट लि. एवं अन्य निजी उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भी खाद्य नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य में नमक रिफायनरी एवं वाशरी स्थापित होने की प्रबल संभावना है। नमक उद्योग के क्षेत्र में देश–विदेश में हो रहे तकनीकी उन्नयन से राज्य के नमक उद्योग को संवर्धित करना एवं नमक उत्पादों के प्रसंस्करण एवं परिष्करण में अद्यतन तकनीकी का समावेश करते हुए नमक उद्योग के साथ साथ नमक व संबद्ध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से **नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना** लागू की जा रही है।

2. उद्देश्य

1. नमक एवं संबद्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना
2. नमक एवं संबद्ध उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को प्रोत्साहित करना
3. नमक उद्योग में नवीन तकनीक को प्रोत्साहित करना
4. नमक उत्पादन की लागत में कमी लाना
5. नमक एवं संबद्ध उत्पादों के परिष्करण हेतु नवीन तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
6. नमक व संबद्ध उत्पादों की पैकिंग में सुधार

3. योजना का नाम

यह योजना **"नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना"** के नाम से जानी जायेगी।

4. योजना अवधि

प्रायोगिक तौर पर **नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना** की अवधि 2 वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है जो वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 तक प्रभावी रहेगी। योजना की उपादेयता की समीक्षा उपरान्त इसकी अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।

5. योजना का कियान्वयन

नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के घटक :–

(1) तकनीकी संगोष्ठी

1. राज्य के नमक उत्पादक जिलों में नमक उद्योग संवर्धन एवं परिष्करण की नवीन तकनीक से नमक उद्यमियों, विक्रेताओं

व अन्य सहभागियों को अवगत कराने हेतु इस योजना के अंतर्गत तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की जायेंगी। नमक उत्पादन एवं नमक आधारित उत्पादों के संवर्धन, नमक उत्पादन के लिए आवश्यक यंत्र–संयंत्रों के विषय विशेषज्ञों का चयन लवण आयुक्त, भारत सरकार के सहयोग से किया जायेगा। संगोष्ठी के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, नये बाजारों की पहचान आदि के संबंध में वस्तुपरक चर्चा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं देश–विदेश के लवण विषय विशेषज्ञों के माध्यम से संभव होगी। योजना अवधि में आवश्यकतानुसार राज्य के पृथक–पृथक मुख्य नमक उत्पादक जिलों में दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की जायेगी।

2. नमक एवं नमक उद्योगों के तकनीकी उन्नयन हेतु एक संगोष्ठी आयोजित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी जिसका उपयोग <u>अनुलग्नक–1</u> में वर्णित प्रयोजनों हेतु किया जा सकेगा।

3. तकनीकी संगोष्ठी के आयोजन हेतु आयुक्त, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

1.	आयुक्त, नमक भारत सरकार, जयपुर	सदस्य
2.	निदेशक, एमएसएमई, बाईस गोदाम, जयपुर	सदस्य
3.	वित्तीय सलाहकार, कार्यालय, आयुक्त, उद्योग	सदस्य
4.	अध्यक्ष/सीएमडी, सांभर साल्ट लि., जयपुर	सदस्य
5.	नमक औद्योगिक संघ के प्रतिनिधि (एक) (अध्यक्ष/प्रतिनिधि)	सदस्य
6.	राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री (अध्यक्ष/प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) (अध्यक्ष/प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ का कामर्स एण्ड इंडस्ट्री(फिक्की) (अध्यक्ष/प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	संबंधित महाप्रबन्धक, जि.उ.के.	सदस्य
10.	संयुक्त निदेशक, उद्योग (लवण)	सदस्य सचिव

- कमेटी में नमक उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों को आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर आमन्त्रित किया जा सकेगा।

4. यह कमेटी संगोष्ठी के आयोजन हेतु स्थान का चयन, विषयवस्तु एवं विषय विशेषज्ञों के चयन तथा संगोष्ठी से संबंधित समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होगी।

6. नमक उद्योग के विकास के लिए तकनीकी सहायता

1. नमक एवं संबद्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं परम्परागत तरीके से स्थापित नमक उद्योग/वाशरी/रिफायनरी/आयोडिनीकरण संयत्र को नई उन्नत तकनीक यथा– सोलर एस्केवेशन/एवोपरेशन सिस्टम, मैकेनिकल हारवेस्टिंग, केमिकल फोर्टिफिकेशन ऑफ साल्ट यथा– आयरन फोर्टिफाईड, विटामिन फोर्टिफाईड, ब्लैक साल्ट, लो सोडियम साल्ट, ऑर्गनिक क्रिष्टल साल्ट आदि उत्पाद विविधिकरण/विस्तार तथा उन्नत नई तकनीक के साथ नई इकाई वित्तीय संस्था/बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर स्थापित किये जाने पर नमक उद्यमियों द्वारा तकनीक उन्नयन पर किये गये 5.00 लाख रूपये से अधिक के स्थायी विनियोजन पर लागत का 15 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50.00 लाख रू. सहायता/ग्रान्ट राशि स्वीकृत की जायेगी।

2. नमक उद्योग के तकनीकी उन्नयन हेतु सहायता के लिए लवण इकाइयों की पात्रता/अपात्रता एवं सहायता/ग्रान्ट की स्वीकृति निम्नानुसार होगी :–

   1. वर्तमान में स्थापित लवण इकाई द्वारा तकनीकी उन्नयन/नवीन यंत्र–संयंत्र की स्थापना हेतु किये गये विनियोजन पर ही इकाई ग्रान्ट/सहायता हेतु पात्र होंगी।

   2. नई स्थापित होने वाली लवण इकाइयों को उन्नत तकनीक प्रयोग करने यथा–क्यारी कंडेन्सरों रिजर्ववायर्स में पक्का तल निर्मित करने(कांकर पत्थर/पोलिथिन शीट लाईनिंग द्वारा निर्मित इन्परवियस बेड), सोलर सिस्टम, मैकेनिकल हारवेस्टिंग, केमिकल फोर्टिफिकेशन आफ साल्ट यथा– आयरन फोर्टिफाईड, विटामिन फोर्टिफाईड, ब्लैक साल्ट, लो सोडियम

आ/२१

साल्ट, ऑर्गनिक क्रिष्टल साल्ट उत्पादन एवं अन्य तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र संयन्त्रों में विनियोजन किये जाने पर ही इकाई ग्रान्ट/सहायता हेतु पात्र होंगी।

3. योजना की समयावधि में तकनीकी उन्नयन से उत्पादन/विस्तार/ विविधिकरण करने वाली इकाइयां ग्रान्ट/सहायता हेतु पात्र होंगी।

4. लवण इकाई/ लवण प्रसंस्करण इकाई द्वारा नमक उद्योग हेतु भूमि कय एवं भवन निर्माण में विनियोजन को इस योजना में ग्रान्ट/ सहायता हेतु मान्य नहीं माना जायेगा।

5. योजना के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन हेतु 5.00 लाख रू. से कम विनियोजन करने वाली लवण इकाई सहायता/ग्रान्ट हेतु पात्र नहीं होगी।

7. <u>स्वीकृति की प्रक्रिया</u>

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र योजना के अंतर्गत सहायता/ग्रान्ट स्वीकृति हेतु, लवण इकाइयों द्वारा प्रस्तुत आवेदन **(अनुलग्नक–2)** एवं शपथपत्र **(अनुलग्नक–3)** प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों में दर्शाये गये विनियोजन की सत्यता की जांच, मूल बिलों, चार्टर्ड एकाउन्टेंट के प्रमाण पत्र एवं मशीनों के आधुनिकीकरण एवं संयन्त्र स्थापित किये जाने पर, चार्टर्ड वैल्युअर की रिपोर्ट एवं अन्य प्रमाणपत्रों के आधार पर करेगा।

2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उक्तानुसार प्रकरण की जांच उपरांत तकनीकी उन्नयन के संबंध में राय/प्रमाणीकरण हेतु जिला स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों (यथा– नमक विभाग, भारत सरकार का जिले में पदस्थापित अधिकारी, निरीक्षक(नमक) उद्योग विभाग) की बैठक आयोजित कर, इनकी तकनीकी राय से इकाई की लागत निर्धारण उपरांत, प्रकरण अपनी अभिशंषा के साथ एजेण्डा नोट

(अनुलग्नक–4) तकनीकी उन्नयन सहायता/ग्रान्ट स्वीकृति हेतु गठित निम्नलिखित राज्यस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा :–

1.	आयुक्त, उद्योग	अध्यक्ष
2.	लवण आयुक्त, भारत सरकार/प्रतिनिधि	सदस्य
3.	वित्तीय सलाहकार	सदस्य
4.	संबंधित महाप्रबन्धक, जि.उ.के.	सदस्य
5.	प्रभारी अधिकारी, (लवण)	सदस्य सचिव

3. राज्यस्तरीय समिति द्वारा महाप्रबन्धक की अभिशंषा एवं प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर सहायता/ग्रान्ट स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृति पत्र (अनुलग्नक–5) जारी किया जावेगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

8. भुगतान की प्रक्रिया

योजना में पात्र इकाइयों को सहायता/ग्रान्ट राशि का भुगतान 100.00 रूपये के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पर एग्रीमेंट (अनुलग्नक–6) निष्पादित करने पर 3 बराबर वार्षिक किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का भुगतान विनियोजन पूर्ण होने पर विनियोजन के सत्यापन उपरांत, द्वितीय एवं तृतीय किश्त का भुगतान आगामी 2 वर्षों तक लवण इकाई की कार्यशीलता का प्रमाणीकरण वार्षिक प्रतिवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–7) में संबंधित महाप्रबन्धक द्वारा किये जाने के उपरांत किया जायेगा।

9. प्रशासनिक विभाग

1. योजना का प्रशासनिक विभाग उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार होगा।

2. योजना की व्याख्या, संशोधन, संवर्धन एवं मोनिटरिंग करने का अधिकार प्रशासनिक विभाग को होगा।

3. योजना के अंतर्गत सहायता/ग्रान्ट राशि के संबंध में प्रावधान, मार्गदर्शन एवं संशोधन प्रशासनिक विभाग के अधीन होंगे।

इस संबंध में वित्त (व्यय–2) विभाग की आई. डी. संख्या 101300342 दिनांक 30.01.2013 पर सहमति प्राप्त की जा चुकी है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

29/4/13

(डॉ0 मोहनलाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मान0 उद्योग मंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, लघु उद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग, राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. लवण आयुक्त, भारत सरकार।
10. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि इसका प्रकाशन असाधारण राजपत्र में कराने हेतु अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को निर्देशित करने की कृपा करें।
14. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. महाप्रबन्धक, समस्त जिला उद्योग केन्द्र।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

अनुलग्नक–1

नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना

तकनीकी संगोष्ठी का बजट प्रावधान

(लाख रू. में)

कम सं.	मद	संभावित खर्चा
1.	संगोष्ठी के प्रतिभागियों को नमक एवं नमक आधारित उद्योगों के तकनीकी उन्नयन से संबंधित मार्गदर्शिका/ब्रोशर/फोल्डर/बेग व अन्य स्टेशनरी	2.00
2.	लवण विषय विशेषज्ञों का मानदेय, यात्रा किराया, लोजिंग एवं बोर्डिंग, टैक्सी एवं अन्य व्यय। (संगोष्ठी में देश–विदेश के न्यूनतम 10 लवण विषय विशेषज्ञों की सेवाये ली जायेगी)	6.00
3.	संगोष्ठी स्थल का किराया, उद्घाटन, जलपान, लंच व समापन समारोह पर व्यय (2 दिवस पर व्यय)	3.00
4.	पत्र–पत्रिकाओं (राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में) में दिये जाने वाले विज्ञापन	3.00
5.	होर्डिंग्स, बैकड्रोप्स, आमन्त्रण पत्र, अन्य प्रकाशन सामग्री	3.00
6.	प्रशासनिक व्यय (इवेन्ट मैनेजर /औद्योगिक संघ द्वारा संगोष्ठी आयोजित किये जाने पर)	1.50
7.	विविध व्यय	1.50
	कुल योग–	20.00

अनुलग्नक–2

नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना

मैं0

____
____
____

सेवा में,
महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
____

विषयः—नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत आवेदन ।

श्रीमान्‌जी,

हम अपनी————————————नमक इकाई/रिफाइनरी/वाशरी/आयोडाइजेशन प्लान्ट के तकनिकी उन्नयन/नई उन्नत तकनीक से नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना, 2012 के अंतर्गत रू0————————(अक्षरे रूपये————————————————)रूपये का विनियोजन कर सहायता के लिए आवेदन करते है ।

नयी इकाई/विस्तार/विविधिकरण की योजना को निम्न अनुसूचित वित्तीय संस्थानों/बैंक इत्यादि के द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

(अ)
(ब)
(स)

या

नयी इकाई/विस्तार/विविधिकरण की योजना को स्वयं के स्त्रोतों से वित्त पोषित किया है ।

उपरोक्त संस्थाओं/बैंक द्वारा जैसा कि परियोजना लागत को अनुमोदित किया गया है एवं स्थायी सम्पत्ति की लागत निम्नानुसार हैः—

(अ) परियोजना लागत वित्तीय संस्थानों/बैंक से अनुमोदित

(ब) कुल स्थायी पूंजी विनियोजन जैसा कि परियोजना अनुमोदित हैः
(1) भूमि
(2) भवन
(3) संयत्र एवं मशीनरी
(4) तकनीक उन्नयन उपकरणों का विवरण
(अ)

(ब)
(स)

(5) तकनीकी जानकारी की फीस जो कि भारत सरकार/राज्य सरकार से अनुमोदित संस्थान/अन्य स्थापित टैक्निकल कंसल्टेंट को दी गयी है।

____
____
____

4. आवेदन की तिथि तक वित्तीय संस्थानों/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अनुमोदित स्थायी सम्पत्तियों की लागतः
भूमि
भवन
संयंत्र एवं मशीनरी
तकनीक उन्नयन उपकरणों का विवरण

अ)
(ब)
(स)

5. प्रस्तावित नियोजन या संभावित नियोजन
(अ) प्रबंधकीय
(ब) सुपरवाइजरी/तकनीकी
(स) कामगार(कार्मिक)
कुशल
अर्द्धकुशल
अकुशल
अन्य

6. वाणिज्यिक उत्पादन होने की तिथि/संभावित तिथि
7. जहां आवश्यक हो, निम्न प्रमाण पत्र संलग्न की किये गये हैं:
(अ) सनदी लेखाकार मैं0—————————— का प्रमाण पत्र, जिसमें यह अंकित हो कि इकाई के तकनीकी उन्न्यन मे ————————रू0 राशि का विनियोजन किया गया है एवं इकाई की सम्पत्तियों ————————रू0 से वृद्धि हुयी है, जोकि इकाई के खातों के निरीक्षण के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है ।

(ब) संघीय अभियन्ता का प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया हुआ हो कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से लेकर अब तक किये गये निम्न सिविल कार्य किये गये हैं एवं उन पर ————————रू0 की लागत खातों में दर्शायी गयी है, जो सही है किन्तु यह सहायता/ग्रान्ट के लिए पात्र नहीं है।

8. मैं/हम सहमति प्रदान करते हैं कि मुझे/हमें यदि योजना के प्रावधानों से अधिक राशि का भुगतान होना सिद्ध होता है तो तत्काल प्रभाव से वापस राज्य सरकार को मय 18 प्रतिशत ब्याज के लौटा दी जाएगी एवं राज्य सरकार में तत्समय प्रचलित ब्याज दर के अनुसार इस राशि ब्याज का भी भुगतान मेरे/हमारे द्वारा कर दिया जाएगा ।

9. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों की योजनाओं तहत इस उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की सहायता/ग्रान्ट प्राप्त नहीं किया गया है और न ही आवेदन किया गया है

10. मैं/हम राज्य की नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के सभी प्रावधानों, प्रकियाओं एवं समय–2 पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले नियमों/विनियमनों/संशोधनों को मानने के लिए बाध्य होंगे ।

प्रार्थी,

प्रार्थी के हस्ताक्षर मय सील
नाम या हस्ताक्षर जिसकी ओर से किये गये है

अनुलग्नक–3

नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के अंतर्गत आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मै————————————पुत्र श्री ———————— जाति ——— उम्र——————निवासी —————फर्म मै.—————का मालिक/साझेदार/निदेशक/कर्ता शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि :–

1. मेरे द्वारा नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के अंतर्गत इकाई की स्थापना नई तकनीक/पुरानी इकाई का तकनीकी उन्नयन/जीर्णोद्धार कर की गयी है एवं इस योजना के अंतर्गत मै. ———— के मालिक/साझेदार/निदेशक/कर्ता के रूप में आवेदन कर रहा हूं।

2. नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के प्रावधान संख्या के अनुसार हमारे द्वारा ——— रू(अक्षरे रू.). का स्थाई पूंजी विनियोजन किया गया है, जिसकी अनुदान योग्य राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

   अ. भूमि :–
   1. स्थिति
   2. नाप — सहायता/ग्रान्ट की पात्र नहीं
   3. क. खरीद तिथि
      ख. कीमत

   ब. भवन :–
   1. स्थिति
   2. नाप — सहायता/ग्रान्ट की पात्र नहीं
   3. क. भवन निर्माण अथवा उसके हिस्से की पूर्ण होने की तिथि
      ख. चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र के आधार पर कीमत
      ग. अब तक भवन में खर्च की गयी राशि

   स. संयन्त्र – संयन्त्र में ट्रेडिशनल निर्मित क्यारे कंडेन्शर, रिजरवायर, को तोडकर नई तकनीक का प्रयोग कर नया साल्ट वर्क्स डिजाइन करना आदि।

   मशीनरी–

कम सं.	कय आदेश देने की तिथि यदि कोई हो	कय दिनांक	कय किये गये आईटम्स	स्थापना के समय की कीमत
1	2	3	4	5

3. यह है कि हमारे द्वारा उक्त कय के लिए पूर्ण भुगतान कर दिया गया है एवं हम उपरोक्त स्थाई पूंजी विनियोजन के एकमात्र एवं पूर्ण स्वामी हैं।

4. यह है कि हमारी नई/वर्तमान इकाई राज्य सरकार के वित्तीय संस्थान के सहयोग/बिना सहायता के स्थापित की गयी है (यदि सहायता प्राप्त की है तो स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करें)।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं —————————पुत्र श्री ——————————शपथपूर्वक बयान एवं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 4 में वर्णित तथ्य मेरे जानकारी में सही हैं एवं काई तथ्य नहीं छुपाया गया है। ईश्वर मेरी सहायता करे।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

अनुलग्नक–4

नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के समक्ष एजेन्डा का प्रोफार्मा

1. नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के अंतर्गत वितरण करने वाली एजेन्सी का नाम –

2. आवेदक का नाम व पता –

3. औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल –

4. एमएसएमई मेमोरेन्डम/एसआईए रजिस्ट्रेशन (भारत सरकार) (पार्ट–1, पार्ट–2) की संख्या एवं दिनांक –

5. इकाई का संविधान (एकल स्वामित्व/साझेदारी/प्रा.लि./लि.) –

6. अ. क्या इकाई नई है/वर्तमान में स्थापित इकाई का विस्तार/डाइवर्सिफिकेशन/तकनीक उन्नयन है। –
   ब. नई औद्योगिक इकाई की दशा में उन्नत तकनीकी प्रयोग का विवरण। –
   स. विस्तार/विविधिकरण की दशा में उत्पादन की वास्तविक/अनुमानित तिथि –

7. सृजित/प्रस्तावित नियोजन की संख्या –

8. प्रस्तावित उत्पाद –

9.

वाणिज्यिक उत्पादन का विवरण	दिनांक	कीमत (रूपयों में)	उत्पादन होने का प्रमाण
1	2	3	4

10. क्या परियोजना लागत में तकनिकी उन्नयन के लिये किया गया विनियोजन सम्मिलित है?

11. वित्त के स्त्रोत — राशि(रूपयों में) — विशेष
(अ) अंश पूंजी
(ब) ऋण
    क. वित्तीय संस्थान
    ख. बैंक
    ग. अन्य संस्थान
(स) अन्य आंतरिक स्त्रोत

(द) ब्याज मुक्त वेट ऋण
(य) अन्य
कुल रूपये –

12. स्थायी पूंजी विनियोजन का विवरण

प्रस्तावित स्थाई पूंजी विनियोजन	प्रस्तावित स्थाई पूंजी विनियोजन पर वास्तविक खर्चा	प्रस्तुत साक्ष्य (प्रमाणपत्र आदि)

अ. भूमि
ब. भवन
स. संयन्त्र एवं मशीनरी
द. तकनीकी जानकारी की फीस जो तिक भारत सरकार/ राज्य सरकार से अनुमोदित संस्थान/अन्य स्थापित टेक्निकल कंसल्टेंट को दी गयी है।

कुल –

13. राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान के लिए पात्र राशि
14. महाप्रबन्धक की अभिशंषा
15. अन्य विशेष विवरण

हस्ताक्षर

नाम व पद

अनुलग्नक–5

स्वीकृति पत्र का प्रारूप

क्रमांक : दिनांकः

मै. ______________________

____

____

विषयः– नमक एवं नमक उत्पादों का संवर्धन एव तकनीकी उन्नयन, योजना

संदर्भः–आपका योजनान्तर्गत आवेदन दिनांक ———

महोदय,

1. हमें यह सूचित करते हुए हर्ष है कि राज्यस्तरीय कमेटी द्वारा अपनी बैठक दिनांक ———— में आपकी इकाई को नमक एवं नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के अंतर्गत नमक उद्योग विकास के लिए तकनीकी सहायता के रूप में ————रू. (अक्षरे रूपये ——————) की ग्रान्ट निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है।

2. आप द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार पात्र स्थाई पूंजी विनियोजन के निम्न मद हैं।

1.	भूमि	रू. ———
2.	भवन	रू. ———
3.	संयंत्र एवं मशीनरी	रू. ———
4	तकनीकी जानकारी की फीस जो भारत सरकार/राज्य सरकारसे अनुमोदित संस्थान/स्थापित टेक्निकल कंसल्टेंट को दी गयी है	रू. ———
5.	अतिरिक्त ग्रान्ट	रू. ———
	कुल–	———

उपरोक्त आधार पर आपकी इकाई को रू.————की ग्रान्ट की पात्रता निर्धारित की गयी है।

3. प्रत्येक किश्त के वितरण से पूर्व आपको 3 प्रतियों में अग्रिम प्राप्ति रसीद निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(हमारे द्वारा संपादित समझोते पत्र दिनांक ————— में उल्लेखित शर्तों के अधीन नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना के अंतर्गत राशि ————— दिनांक ————— को ————————— से सधन्यवाद प्राप्त की गयी)

4. आपको वितरण अधिकारी से ————— रू. की राशि के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक एग्रीमेन्ट संपादित करना होगा, जिसका प्रफोर्मा संलग्न है। इसके साथ साथ उपरोक्त की 2 पाईप पेपर पर अतिरिक्त कापी प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी एक प्रति आपके रिकार्ड हेतु वापस लौटा दी जायेगी।

5. स्वामित्व वाली संस्थान की दशा में एग्रीमेंट स्वामी द्वारा संपादित किया जाना चाहिए

(अ) निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत एक निदेशक अथवा एक से अधिक निदेशक द्वारा एग्रीमेंट संपादित किया जायेगा। एग्रीमेंट कंपनी की <u>सार्वमुद्रा</u> में संपादित किया जायेगा।

(ब) साझेदारी फर्म की दशा में सभी पार्टनर्स द्वारा एग्रीमेंट संपादित किया जाना चाहिए, यद्यपि इनमें से कोई एक पार्टनर जिसके पास पावर आफ एटोर्नी है, वह भी अन्य पार्टनर की ओर से एग्रीमेंट संपादित कर सकता है।

(स) कृपया नोटेरी द्वारा प्रमाणित साझेदारी विलेख एवं प्रमाणित पावर ऑफ एर्टोनी की प्रति संलग्न करें । यदि सामान्य पावर ऑफ एर्टोनीधारी साझेदार द्वारा एग्रीमेंट सम्पादित किया जाता है तो इस दशा में फर्म की ओर से सभी पार्टनर द्वारा एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए कि एग्रीमेंट की तिथि पर जनरल पावर ऑफ एटोर्नी लागू है एवं रद्द नहीं की गई है ।

6. यदि कोई एग्रीमेंट में कांटछांट की गई है वह हस्ताक्षरित होनी चाहिए । एग्रीमेंट में कोई खाली स्थान है, तो वहां पर उचित हस्ताक्षर होने चाहिए ।

7. उपरोक्त एग्रीमेंट राजपत्रित अधिकारी या प्रथम श्रेणी के दण्डनायक या नोटेरी पब्लिक की उपस्थिति में सम्पादित होना चाहिए

संलग्नः एग्रीमेंट का प्रारूप

भवदीय,

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र ———

अनुलग्नक–6

(to be submited on stamp paper worth Rs.100/-)

AGREEMENT

This agreement is made on this ....day of .... between (M/s grantee) which expression shall where the context so admits include all the partners (if it is a firm), their respective heirs, executors, administrators, legal representatives and assigns of the one part and the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the State Government) of the other part.

Whereas the grantee has applied for the assistance/grant of investment, an amount of Rs. .... (Rs. .... only) under the "नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना" And whereas the State Government has agreed to grant him the said assistance/grant on the terms and conditions hereinafter contained.

Now, therefore, in pursuance of the said agreement and in consideration of the said amount Rs. .... (Rs. .... only) to be paid by the State Government through its authorized disbursing agency to the grantee as aforesaid the grantee hereby covenants and binds himself to the State Government as follows:

1. That the grantee shall use the said amount of Rs. .... (Rs.. only) to be paid by the State Government though its authorized disbursing agency for the purpose of said industry only and for other purposes.
3. That after the commencement of production by the industrial unit for which the assistance/grant is granted, the grantee shall submit annual progress report to the disbursing agency about working of the grantee's industrial unit for a period of 5 years.
4. That without taking prior approval of the sanctioning authority the grantee shall not change the location of the whole or any part of the industrial unit or effect any substantial contraction or dispose of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of five years after its going into production.
5. That the grantee shall not stop or discontinue production in the industrial unit for which the assistance/grant is granted within a period of 5 years after the receipt of the assistance/grant and after the commencement of production except in cases when it remains out of production for short periods extending not beyond 6 months due to reasons beyond its control such as shortage of raw material, power, etc.
6. That the grantee shall allow sanctioning authority/disbursing authority/State Government or any other person authorized by them to inspect the working of the said industrial unit at all times and for that purpose to enter into its premises and examine and take copies of the grantee's registers, books of accounts and any other relevant records.
7. The grantee shall refund the said assistance/grant or part thereof to the State Government in case the same is found recoverable under the provisions of the scheme or the procedure & guidelines issued there under.

8. That in case it is found that the grantee has given some false, incorrect or incomplete information or the grantee has gone out of production within 5 years from the date of production or has committed any breach of any of the covenants, as mentioned above, or any of the provisions in the "नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना" the disbursing authority after according him and opportunity of being heard shall be empowered to recover the whole amount of subsidy paid to the grantee together with 18% interest per annum from the date of payment of assistance/grant. This amount shall be recoverable as an arrear of Land Revenue act, 1956 dues of the financial institution.

In witness, thereof the agreement hereby executed and signed by the grantee on the day herein above mentioned.

Signed by the Grantee

Witness No. 1....................
Full Address ....

Witness No. 2...................
Full Address.....................

Signed on behalf of the Governor of the State of Rajasthan ....

Witness No. 1......................
Witness No.2......................

अनुलग्नक—7

नमक उद्योग संवर्धन एवं उत्पाद परिष्करण तकनीकी उन्नयन योजना अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष————)

नमक उत्पादक इकाई द्वारा स्वीकृत करने वाले विभाग को पृष्ठांकित करते हुएं जिला उद्योग केन्द्र को सहायता/ग्रान्ट स्वीकृत होने के 5 वर्ष तक अनिवार्य रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में इकाई के कार्यरत् रहने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

1. नमक उत्पादक इकाई का नाम व पता

2. एम एस एम ई मेमोरेण्डम कमांक एवं दिनांक

3. कुल पूंजी विनियोजन
   भूमि
   भवन
   संयंत्र एवं मशीनरी
   अन्य ————

   कुल राशि रूपये————

4. उत्पादन किये गये आइटम्स

5. उत्पादन/विस्तारीकरण/विविधिकरण की तिथि

6. वित्तीय वर्ष——— में उत्पादन

   (मात्रा में)
   (मूल्य में) कुल राशि रूपये————

7. नियोजन
   1. प्रबन्धकीय/सूपरवाईजरी
   2. कुशल
   3. अकुशल ————
   कुल ————

8. वर्ष के दौरान बिकी
   1. मात्रा
   2. मूल्य
   3. जॉब वर्क की राशि

9. अनुदान प्राप्ति की राशि एवं दिनांक

10. विशेष विवरण(यदि कोई हो)

आवेदक के हस्ताक्षर